


349

455

2
4-9-12

न्यायालय श्रीमान् म० प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म० प्र०



R-3146-II/12

C.F. 25-2012

SS9
314/12

रामरती यादव पत्नी कामता प्रसाद यादव निवासी ग्राम पटेहरा,
तहसील सैमरिया, जिला रीवा म० प्र०

निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1- कौशल्या यादव पत्नी रामलाल यादव निवासी ग्राम पटेहरा,
तहसील सैमरिया, जिला रीवा म० प्र०

2- रामकली यादव पत्नी हीरालाल यादव निवासी पटेहरा,
तहसील सैमरिया, जिला रीवा म० प्र०

3- श्री गौसन म० प्र०

निगरानीकर्ता/अनालगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील
सैमरिया, जिला रीवा म० प्र० के राजस्व प्र० क्र०
9अ/2/2011-2012 से प्रकरण क्र. 10अ/2/11-12
से पारित आदेश दिनांक 6-7-2012 के विरुद्ध
अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० मू० र० ट० सं० के अधीन
निगरानी

अधिवक्ता श्री कृष्णाक
तिवारी द्वारा उलुता
रीवा, दिनांक 3-9-2012

319/12

महोदय,

निगरानी के तथ्य:-

आराजी नम्बर 626/1/ख मौजा पटेहरा 289, 40ह० लैनबधरी,
तहसील सैमरिया, जिलारीवाम० प्र० में स्थित भूमि है जिसके भूमिस्वामी व अधिपत्यधारी
आवेदिका है एवं आराजी नम्बर 626/1 ग रकवा०-20आरे. खं मौजा पटेहरा
भूमिस्वामी अनावेदिका क्रमांक 1 एवं आराजी नम्बर 626/1 घ की भूमिस्वामी
अनावेदिका क्रमांक 2 है, अनावेदिका क्रमांक 1, 2 के द्वारा अपने-अपने भूमियों के
सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, आराजी नं. 626 कई खण्डों को मे
बिभाजित है लेकिन राजस्व नक्शे में नक्शा तर्मीम की कार्यवाही नहीं की गयी है
लेकिन बिना नक्शा तर्मीम की कार्यवाही किये वगैरह तहसीलदार महोदय ने

आवेदिका
319/12

मिमान

347

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ


क्रमांक निग03146- II / 2012

जिला-रीवा

रामरती यादव / कौशिल्या यादव

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 9/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

M


(बी.एम.शर्मा),
सदस्य